कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी।

संख्या 253 /निर्वाचन-2020 दिनांक-16 अक्टूबर,2020

अल्पकालिक निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अर्हता तिथि 01-01-2021 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रयोगार्थ निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण एवं डिजिटल फोटो प्रतियां तथा प्रपत्रों की छपाई हेतु निम्न विवरण के अनुसार मुहरबन्द अल्पकालिक निविदा दिनांक 27.10.2020 के अपरान्ह 02-00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। नियत समय तक जमा निविदायें उसी दिन अपरान्ह 04-00 बजे गठित समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं शर्तें वेबसाइट varanasi.nic.in/deo.html पर उपलब्ध है। निविदा फार्म निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय किये जा सकते है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	धरोहर की धनराशि	निविदा फार्म का मूल्य
1	2	3	4
1	मतदाता सूची का मुद्रण	10000-00	300-00
2	मतदाता सूची की फोटो कापी	20000-00	500-00
3	प्रपत्रों की छपाई	5000-00	200-00

उक्त निविदा का फार्म का शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित लेखा शीर्षक 0070-02-101- 00-01 में जमा करके प्राप्त किया जायेगा। निविदा के साथ अर्नेस्टमनी की धनराशि बैक ड्राफट/एफ0डी0आर जो जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अलग-अलग कार्य हेतु अलग-अलग निविदा भरना होगा। अल्पकालिक निविदा का प्रारूप एवं अन्य शर्तें आदि की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, वाराणसी से किसी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

शर्तें

1. निविदादाता फर्म का व्यापार कर में पजीकरण होना अनिवार्य है तथा उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. फार्म का मूल्य ट्रेजरी चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, वाराणसी में जमा करके निविदा फार्म दिनांक 17.10.2020 से 23.10.2020 तक अपरान्ह 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
3. धरोहर राशि एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट को जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी के पक्ष में होगा मूलरूप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
4. कार्यालय द्वारा नियत समय एवं स्थान पर सामग्री की आपूर्ति करना होगा। इस पर होने वाले किसी प्रकार के व्यय का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. निविदा की पूर्ण शर्तें एवं कार्य का विवरण निविदा फार्म में अंकित होगा।
6. नियत मानक के अन्तर्गत भुगतान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आवंटन प्राप्त होने पर देय होगा।
7. निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी के पास सुरक्षित होगा।

(रण विजय सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
वाराणसी।